हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019/8 भाद्रपद,1941 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी सेवाएं, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:उद्यान-ख-(7)-8/92-वॉल्यूम-V दिनांक 30.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.06.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

   (2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 व 2018-19;

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2018-19;और

(iv) जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड-18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 व 2017-18 ।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **65वां कारवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 172वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **66वां कारवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 193वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **67वां कारवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 224वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **68वां कारवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 252वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का **69वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 254वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का **70वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 123वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित है;

(vii) समिति के **192वें मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 62वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति के **118वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 164वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है ।

4. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 15)	(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971(1971का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(ii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16)	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 17)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iv) डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि संपूर्ण राज्य में कृषि उपज का भौगोलिक निर्बन्धन-मुक्त व्यापार संव्यवहार करने; कृषकों को अपनी उपज को हर समय और हर स्थान पर विक्रय हेतु स्वतंत्रता प्रदान करने, अभिनव रूप अपनाने के माध्यम से व्यापार संचालनों और मूल्य निर्धारण क्रियाविधि में पारदर्शिता में वृद्धि करने, प्रतियोगी विपणन, कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात हेतु बहुविध प्रणालियों की अनिवार्यता को बढ़ावा देने; हिमाचल प्रदेश राज्य में मण्डियों और विपणन अवसंरचना के विकास में विनिधानों को प्रोत्साहित करने, तथा जहां उसके लिए असुविधाजनक विनियम, वृत्तिक प्रबन्धन और अनुकूल नीतिगत ढांचा स्थापित करना समीचीन है, के लिए और उससे सम्बन्धित प्रयोजनों तथा उसके लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अधिकथित करने का उपबन्ध करने के लिए विधि पुन: अधिनियमित करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 14)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि धर्म की स्वतन्त्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि पुन: अधिनियमित करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 13)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

दिनांक 28 अगस्त, 2019 को "**World Bank Funded Horticulture** Development Project पर हुई चर्चा का **माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** उत्तर देंगे ।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री राम लाल ठाकुर,** दिनांक 20 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **' निगम के स्टोर से गेहूं लोड करता पकड़ा दुकानदार'** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री राकेश जम्वाल,** सुन्दरनगर में बी0एस0एल0 प्रोजैक्ट से निकलने वाली सिल्ट से गांवों के लोगों की ज़मीन को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री**
श्री अर्जुन सिंह प्रस्ताव करेंगे कि:

" हाल ही में पुलिस भर्ती में पाए गए फर्जीवाड़े/अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।"

(4) **श्री नरेन्द्र बरागटा**
श्री राकेश सिंघा

"जिला शिमला के ठियोग की पराला सब्जी मण्डी एवं अन्य मण्डियों में सुविधाओं के अभाव" से उत्पन्न स्थिति की ओर **कृषि मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

7. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:**

श्री सुख राम, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही **'मुख्य मन्त्री गृहिणी सुविधा'** योजना पर यह सदन विचार करे।"

8. **नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:**

(1) **श्री जगत सिंह नेगी,** "दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1189 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(2) **श्रीमती आशा कुमारी,** "दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1397 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगी ।"

(3) **श्री राकेश सिंघा,** "दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1173 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

शिमला-171004 | यशपाल शर्मा,
दिनांक: 29 अगस्त, 2019 | सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)